न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 13 /2022 (Bank Case)

यूको बैंक रजिस्टर्ड कार्यालय यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. सरणी,(ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित कार्यरत है एवं एक अंचल कार्यालय खइलेण्ड मार्केट, आगरा गेट, अजमेर–3050001 में स्थित कार्यरत है एवं शाखा कार्यालय बारां (1181) में स्थित कार्यरत है जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री संदीप गुप्ता ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स सुरेश कुमार मनीष कुमार जरिये प्रोपराईटर श्री सुरेश कुमार पता– अनाज मण्डी बारां राजस्थान– 325205 (ऋणी बंधककर्ता)
2. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री छित्तर लाल पताः–सी/99, नाकोदा बारां जिला बारां राजस्थान (ऋणी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 30/9/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी यूको बैंक रजिस्टर्ड कार्यालय यूको बैंक प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. सरणी,(ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित कार्यरत है एवं एक अंचल कार्यालय खइलेण्ड मार्केट, आगरा गेट, अजमेर–3050001 में स्थित कार्यरत है एवं शाखा कार्यालय बारां (1181) में स्थित कार्यरत है जरिये प्रधिकृत अधिकारी श्री संदीप गुप्ता है, अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 22.04.2019 को 13,00,000/– रूपये (अक्षरे तेरह लाख रूपये) तथा दिनांक 11.06.2020 को 2,60,000 (अक्षरे दो लाख साठ हजार रूपये) इस प्रकार कुल 15,60,000 /– (अक्षरे पन्द्रह लाख साठ हजार रूपये) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री छित्तर लाल की दुकान जो कि प्लॉट नं. 8, ब्लॉक एच, रेलवे स्टेशन, कॅमर्सियल स्कीम, अहिसा सर्किल के पास, बारां, जिला बारां पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन** व ढांचा आदि सम्पत्ति के [illegible] क्षेत्रफल 150 वर्गफीट है। चतुर्थ सीमा– उत्तर में रोड, दक्षिण में रेलवे की [illegible] में दुकान संख्या 9, पश्चिम में दुकान संख्या 7 है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था [illegible] किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का [illegible] नही कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के [illegible] को दिनांक 11.01.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 15,15,665.37/– (अक्षरे पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार छः सौ पैसठ रूपये एवं सैतीस पैसा) बकाया राशि दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.17 12:41:14 IST
Reason: SelfAttested

11.01.2022 तक [illegible] सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 29.01.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 29.01.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 29.01.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री छित्तर लाल की दुकान जो कि प्लॉट नं. 8, ब्लॉक एच, रेलवे स्टेशन, कॅमर्सियल स्कीम, अहिसा सर्किल के पास, बारां, जिला बारां पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्गफीट है। चतुर्थ सीमा– उत्तर में रोड, दक्षिण में रेलवे की दीवर, पूर्व में दुकान संख्या 9, पश्चिम में दुकान संख्या 7 है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 30/9/22 को सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.17 12:41:14 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां